फा.सं. 18/03/2015-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 02 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कर्मचारियों को गलत ढंग से/देय से अधिक किए गए भुगतान की वसूली।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/26/2011-स्था.(वेतन-I) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट विधि विशेषकर चंडी प्रसाद उनियाल एवं अन्य बनाम उत्तराखंड सरकार एवं अन्य 2012 एआईआर एससीडब्ल्यू 4742 (2012) 8 एससीसी 417 के मद्देनजर सरकारी कर्मचारी को गलत ढंग से/देय से अधिक किए गए भुगतान की वसूली से संबंधित मुद्दों का निपटान करने के विषय में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(iv) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि केवल अत्यधिक कठिनाई वाले कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर अधिक भुगतान किए गए सभी मामलों में वसूली की जाएगी।

2. यह मुद्दा बाद में 2014 के सीए सं. 11527 (2012 की विशेष अनुमति याचिका (सी) से उद्भूत सं. 11684) में पंजाब राज्य व अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने वाला) आदि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने विचारार्थ आया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.12.2014 को ऐसे अनेक मामलों में निर्णय दिया जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के निर्धारण में अनजाने में की गई गलतियों के कारण कर्मचारियों को उनकी हकदारी से अधिक आर्थिक लाभ दिया गया था तथा जहां कर्मचारी गलत सूचना देने/तोड़-मरोड़ कर सूचना देने अथवा धोखाधड़ी के दोषी नहीं थे जिससे संबंधित सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने में गलती हुई हो। परिलब्धियों के गलत ढंग से और देय से अधिक निर्धारण में कर्मचारी उतने ही निर्दोष थे जितने उनके नियोक्ता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के उपर्युक्त निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही हैं :

> *"7. Having examined a number of judgments rendered by this Court, we are of the view, that orders passed by the employer seeking recovery of monetary benefits wrongly extended to employees, can only be interfered with, in cases where such recovery would result in a hardship of a nature, which would far outweigh, the equitable balance of the employer's right to recover. In other words, interference would be called for, only in such cases*

...2/-

where, it would be iniquitous to recover the payment made. In order to ascertain the parameters of the above consideration, and the test to be applied, reference needs to be made to situations when this Court exempted employees from such recovery, even in exercise of its jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. Repeated exercise of such power, "for doing complete justice in any cause" would establish that the recovery being effected was iniquitous, and therefore, arbitrary. And accordingly, the interference at the hands of this Court."

"10. *In view of the afore-stated constitutional mandate, equity and good conscience, in the matter of livelihood of the people of this country, has to be the basis of all governmental actions. An action of the State, ordering a recovery from an employee, would be in order, so long as it is not rendered iniquitous to the extent, that the action of recovery would be more unfair, more wrongful, more improper, and more unwarranted, than the corresponding right of the employer, to recover the amount. Or in other words, till such time as the recovery would have a harsh and arbitrary effect on the employee, it would be permissible in law. Orders passed in given situations repeatedly, even in exercise of the power vested in this Court under Article 142 of the Constitution of India, will disclose the parameters of the realm of an action of recovery (of an excess amount paid to an employee) which would breach the obligations of the State, to citizens of this country, and render the action arbitrary, and therefore, violative of the mandate contained in Article 14 of the Constitution of India."*

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाने वाला मुद्दा यह था कि सभी प्राइवेट प्रतिवादी, जिनके खिलाफ वसूली का आदेश (देय से अधिक राशि का) जारी किया गया है, उन्हें विधि में नियोक्ता को उस राशि की वापसी से मुक्त रखा जाना चाहिए। मौजूदा आदेश की अनुप्रयोज्यता और तत्पश्चात उनके द्वारा रिकार्ड किए गए निष्कर्षों के लिए निर्णय के पैरा 2 एवं 3 में वर्णित घटक अपेक्षित रूप से अनिवार्य हैं।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, यह अवलोकन करते हुए कि कठिनाइयों की उन सभी परिस्थितियों के बारे में पूर्व धारणा बनाना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को अभिशासित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा त्रुटिवश उनकी हकदारी से अधिक भुगतान कर दिया गया है, निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों का सार प्रस्तुत किया है जहां पर नियोक्ता द्वारा वसूली, विधि द्वारा अनुज्ञेय नहीं होगी:-

(i) *Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).*

(ii) *Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*

...3/-

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

5. इसके परिणामस्वरूप व्यय विभाग तथा विधि कार्य विभाग के साथ परामर्श करके इस मामले का परीक्षण किया गया। मंत्रालयों/विभागों को सरकारी कर्मचारियों को गलत ढंग से/देय से अधिक भुगतान किए जाने के मुद्दे के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2014 के सीए सं. 11527 (पंजाब राज्य व अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने वाला) आदि के मामले में दिए गए निर्णय 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 11684 से उद्भूत) को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। तथापि, जब भी ऊपर उल्लिखित स्थिति में वसूली में छूट देने के बारे में विचार किया जाए तो इस विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18/26/2011-स्था (वेतन-I) के अनुसार व्यय विभाग के स्पष्ट अनुमोदन से इस संबंध में अनुमति दी जाए।

6. जहां तक भारतीय लेखा एवं परीक्षा और लेखा सेवा में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

7. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(ए.के. जैन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. एन. आई. सी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर कार्या. ज्ञा. एवं आदेश (स्थापना-वेतन नियमावली) तथा 'नया क्या है' के तहत अपलोड करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

...4/-

2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय /प्रधानमंत्री कार्यालय/ नीति आयोग।
5. भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (ए आई एस अनुभाग)/जेसीए/प्रशा. प्रभाग/राजभाषा अनुभाग।
7. सचिव, जेसीएम (स्टाफ साइड) की राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली।
8. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद् के स्टाफ साइड के सभी सदस्य।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/ पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।